बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
–:: आदेश ::–

सं० सं०–17 / विविध 02–07 / 2014 पटना, दिनांक :– / /2025

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियत्रण में कार्यरत बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के निम्नांकित प्राध्यापकों को दिनाक–01.02.2025 के प्रभाव से अगले आदेश तक कार्यकारी व्यवस्था के तहत स्तम्भ–04 मे अकित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के प्राचार्य / अधीक्षक के पद का प्रभार दिया जाता है –

क्र0 सं0	नाम	पूर्व धारित पद, विभाग एवं चिकित्सा संस्थान का नाम	पद / पदस्थापन संस्थान का नाम
1	2	3	4
01	डा० राजेन्द्र प्रसाद	प्राध्यापक, एनाटॉमी विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया।	प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया।
02	डा० किशोर कुमार सिन्हा	प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग–सह–अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।	प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर।
03	डा० हेम शकर शर्मा	प्राध्यापक, औषधि विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर।	अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।

2. डा० हरि शकर मिश्र, प्राध्यापक, पैथोलॉजी विभाग, दरभगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभगा को दिनांक–01 02 2025 के प्रभाव से अपने कार्यो के अतिरिक्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियॉ मे प्राचार्य (वित्तीय शक्ति सहित) के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

3. अधिसूचित प्राचार्य / अधीक्षको को वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सख्या–9262 / वि0, दिनाक–01.10.2011 के द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार सहिता, 2011 के नियम–84 के अंतर्गत उक्त सस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

4. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल मे प्राचार्य / अधीक्षक के पद पर पूर्व से कार्यरत चिकित्सक शिक्षक को निदेशित किया जाता है कि वे संबधित को प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

5. प्राचार्य / अधीक्षक के पद पर अधिसूचित चिकित्सक शिक्षक सबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के प्रभार मे नहीं रहेगे।

6. एतद् सबधी पूर्व मे निर्गत अधिसूचना / आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

7. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०– 17 / विविध 02–07 / 2014 - 116(17) पटना, दिनांक :–30/01 /2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एव ह0), वीरचन्द पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / सबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/01/25

(12)

प्रतिलिपि :– सबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सबंधित सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सबधित सभी जिला पदाधिकारी एव संबधित सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी सबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय स्वास्थ्य मत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 07, 08, 09, एव 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

116(17)
30-01.25

विशेष कार्य पदाधिकारी।